Regarding Section 49 of the Madhya Reorganisation Act, 2000

श्री विजय बघेल (दुर्ग): राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों का बंटवारा 74:26 अनुपात के फार्मूले के तहत हुआ, उक्त अधिनियम के धारा 49 की वज़ह से वर्तमान में दोनों राज्यों के लगभग 6 लाख पेंशनर परिवारों को (जिसमें मध्यप्रदेश के लगभग 5 लाख व छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख पेंशनर शामिल हैं) आर्थिक स्वत्वों का भुगतान नहीं हो सकता, महंगाई भत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । बिहार-झारखंड एवम् उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पुनर्गठन के समय स्थाई बटवारा किया गया था, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों लागू नहीं किया गया । जबकि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त धारा को छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हित में विलोपित करने की कृपा करें ।